अनुदान संख्या 14 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	10293,49,00			
			10293,50,00	7294,38,67	-2999,11,33
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2999,10,03
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	66,32,00			
			69,34,00	62,38,07	-6,95,93
पूरक	Supplementary	3,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,95,85

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	100805.00			
			..	..	..
पु.	R.	-100805.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	916292.00			
पू.	S	1.00	716906.92	716906.10	-0.82
पु.	R.	-199386.08			

(I) ₹106426.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹106195.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक आपूर्ति – निदेशन एवं प्रशासन" –

(क) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹575.00 लाख; और

(ख) "मूल्य स्थिरीकरण निधि" – ₹100000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजनाएँ" – ₹5620.00 लाख निधियां का अंतरण नए सृजित शीर्ष को किए जाने के कारण।

(I) Provision of ₹106426.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹106195.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Civil Supplies - Direction and Administration" -

(a) "Consumer Protection Cell" - ₹575.00 lakhs; and

(b) "Price Stabilization Fund" - ₹100000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3456" - "Direction and Administration - Projects Under Consumer Welfare Fund" - ₹5620.00 lakhs - due to transfer of funds to newly created head.

(II) मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – मूल्य स्थिरीकरण निधि" के अंतर्गत ₹202906.50 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹900000.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration - Price Stabilization Fund" - saving of ₹202906.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹900000.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2024) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹5272.78 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "3456" – "उपभोक्ता कल्याण निधि – उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजना" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5272.77 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹5272.78 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "3456" - "Consumer Welfare Fund-Projects under Consumer Welfare Fund" - ₹5272.78 lakhs. Actual excess, however, was ₹5272.77 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹3836.78 लाख का अधिक व्यय (₹6249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3456" - "Direction and Administration - Consumer Protection Cell" - excess of ₹3836.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6249.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹695.93 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹302.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (₹695.93 lakhs) exceeded the supplementary grants ₹302.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 10 percent of the sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नानुसार हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred as under:-

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹916.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹916.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹300.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत है।

(II) Under one head excess of ₹300.00 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

3. उपभोक्ता कल्याण कोषः-

उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके की गई थी ताकि निर्धारित नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु निधियों का उपयोग किया जा सके। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माताओं को वापस न की जाने वाली राशि इस कोष में जमा की जाती है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिशों पर, नियमों को और व्यापक बनाने के लिए 27 जनवरी, 1994 को इसमें और संशोधन किए गए। इसके बाद, नियमों में दिनांक 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को संशोधन किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई है, लेकिन इसका संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने तथा देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार थाः–

3. Consumer Welfare Fund :-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	297,78,20
प्राप्तियां	Receipts	79,17
अदायगियां	Payments	52,73,27
अंत शेष	Closing Balance	244,25,76